बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
आदेश

सं० सं०–2/एल–212/2025– /स्वा०, पटना, दिनांकः / / 2026

डा0 रश्मि कुमारी, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी(शिशु रोग), सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, फलका, कटिहार द्वारा प्रथम संतान के प्रसव हेतु उपभोगित/उपभोग की जाने वाली अवकाश अवधि दिनांक 22.10.2025 से 19.04.2026 तक कुल 180(एक सौ अस्सी) दिन को वित्त विभाग के पत्रांक–9889, दिनांक 01.12.2015 के आलोक में मातृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–2/एल–212/2025– 178(2) पटना, दिनांक 30/01/2026

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/असैनिक शल्य चकित्सक–सह–मुख्य, चिकित्सा पदाधिकारी, कटिहार/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, फलका, कटिहार/कोषागार पदाधिकारी, कटिहार/डा0 रश्मि कुमारी, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी(शिशु रोग), सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, फलका, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–3, 9बी, 17 एवं 18ए, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

SKRadesh 2026